न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **56/2013** (आवंटन निरस्ती)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री नानालाल पिता सवा भील, निवासी ग्राम करगेट, तहसील गिर्वा, उदयपुर
2. शाखा प्रबन्धक, आई सी आई सी आई बैंक, उदयपुर

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भुमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितिः—	1— श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार 2— श्री गोवर्धनसिंह सारंगदेवोत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 3— श्री भैरूशंकर जोशी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

निर्णय

दिनांकः .....

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियमन) के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 15.06.94 को ग्राम करगेट की बिलानाम आराजी नम्बर 1434 में रकबा 0.5000 हैक्टर भुमि विपक्षी संख्या 1 नानालाल पिता सवा भील को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटीत की गई। जिसका राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 217 दिनांक 20.03.03 द्वारा विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। आवंटन के 19 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् भी आवंटी द्वारा कब्जा नहीं कर काश्त नहीं की गई। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। जबकि वर्तमान में यह भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हैं। कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी आई सी आई सी बैंक को उक्त भुमि को रहन रख ऋण प्राप्त कर लिया। जो वर्तमान में आई सी आई सी आई बैंक उदयपुर के नाम रहन दर्ज हैं। लम्बे समय के बाद भी विपक्षी द्वारा आवंटीत भुमि पर कोई काश्त नहीं की गई। नाही कब्जा किया गया। अतः विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से किया गया आवंटन खारीज कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई। विपक्षी संख्या 2 द्वारा उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि विपक्षी संख्या 1 का राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार के नाम से कृषि भूमि दर्ज होकर इस कृषि भुमि पर भी पूर्ण कब्जा होकर काश्त की जा रही थी। जिसका मौका मुआयना भी विपक्षी संख्या 2 बैंक अधिकारीयो द्वारा ऋण देते समय किया गया था। उसी आधार पर विपक्षी संख्या 1 को ऋण दिया गया। विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 को कृषि प्रयोजनार्थ ऋण स्वीकृत किया था, पहले कृषि भूमि का भौतिक कब्जे के संबंध में निरीक्षण किया तो खाते में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से ही ऋण दिया गया और उप तहसीलदार कुराबड़ द्वारा धारा 6ए में अंकित प्रावधानों के अनुसार विपक्षी संख्या 2 का प्रार्थी के उक्त खाते में रहन दर्ज किया जिसको खाते में पटवारी द्वारा अंकित किया गया। मगर वास्तविकता में जैसा कि पटवारी ने रिपोर्ट इस प्रकरण में प्रस्तुत की हैं। विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं होता तो पटवारी हल्का विपक्षी संख्या 1 के कृषि खाते में विपक्षी संख्या 2 को रहन दर्ज नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 रहन विधिक रूप से सही अंकित किया गया, इसलिये जब तक उक्त कृषि भूमि रहन मुक्त नहीं हो जाती तब तक माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जाना न्यायहीत में आवश्यक हैं। ऋण देते समय समस्त आस पड़ौस एवं गॉव के व्यक्तियो से पूछताछ कर बाद संतुष्टी ऋण दिया गया हैं। अतः जब तक ऋण की अदायगी के पश्चात् कृषि भूमि को उसके खाते में रहन मुक्त नहीं किया जाता तब तक उक्त भुमि का आवंटन नियमानुसार निरस्त नहीं किया जाना न्यायहीत में आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कराना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया। विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। अतः विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त करना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा भू माफियाओ से मिलकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। जो पर्चा मौका बनाया गया है वह पटवार खाने बैठकर लोगो के कहने से बनाया गया हैं। यदि मौके पर आते तो मैं उपस्थित मिलता क्योंकि मैं मौके पर मेरा कब्जा हैं। आवंटन के बाद विधिवत मुझे जमीन सिपुर्द की गई। मैं अनुसूचित जनजाति का सदस्य हुॅ। कुछ लोग इस भुमि को येन केन प्रकारेण प्राप्त करना चाहते हैं। जिसे मैं उन्हे नहीं देना चाहता हूॅ। जिस कारण से पटवारी हल्का से मिलकर मुझे जलील व परेशान करने की नियत से यह रिपोर्ट प्रस्तुत करवायी गई हैं। तहसीलदार जी द्वारा भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर कोई स्वतंत्र जॉच नही करवाकर सीधे ही 14(4) का प्रकरण बनाकर न्यायालय आप को प्रस्तुत कर दिया गया हैं। यदि उनके द्वारा वास्तविक मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो सही स्थिति सामने आ जाती न्यायालय से भी निवेदन है कि निर्णय से पूर्व मौके की रिपोर्ट तलब करवायी जावें। ताकि न्यायालय के सामने भी दुध का दुध व पानी का पानी हो जायेगा। अतः कृपया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कराना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 द्वारा ऋण दिया गया हैं। वादग्रस्त भुमि विपक्षी संख्या 2 के नाम रहन दर्ज हैं। ऐसी स्थिती में जब तक रहन राशि विपक्षी संख्या 1 द्वारा जमा नहीं करायी जाती है तब तक भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। जो ऋण दिया गया है वह बैंक कर्मी द्वारा मौके पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जे की पुष्टि करने के बाद ही दिया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गिर्वा से भी रहन नामे कि प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। जो शामिल पत्रावली हैं। विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने कथनो की ताईद में कोई दस्तावेजी एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये नाही अपना कब्जा होना साबित करवाया गया। प्रकरण में जवाब भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जो ऋण दिया गया है जिसमें विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब व बहस के कथनो में यह कहा गया है कि विपक्षी संख्या 1 को जो रहन दिया गया वह

बैंक अधिकारी द्वारा मौके पर भुमि पर आधिपत्य संबंधी विस्तृत जॉच कर बाद संतुष्टी ही ऋण दिया गया हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि आवंटन के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटीत भुमि पर कभी कब्जा ही नहीं किया। पिछले 19 वर्षो से विपक्षी संख्या 1 का कब्जा रहा ही नहीं। अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में पर्चा मौका पटवारी भल्लो का गुड़ा का प्रस्तुत किया गया हैं। जबकि विपक्षी संख्या 2 की ओर से अपने कथनो की ताईद में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ में आई सी आई सी आई बैंक द्वारा जो रहननामा दर्ज करवाया गया है उसकी छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि विपक्षी संख्या 1 को ट्रैक्टर का लोन दिया गया परन्तु उसमें ट्रेक्टर संख्या अंकित नहीं है नाही बैंक की कौनसी शाखा द्वारा दिया गया है जिसका भी अभाव हैं। विपक्षी संख्या 1 मुल आवंटी द्वारा भी आवंटीत भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना साबित नहीं किया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा करगेट की आराजी नम्बर 1434 रकबा 0.5000 हैक्टर विपक्षी संख्या 1 नानालाल पिता सवा भील निवासी करगेट तहसील गिर्वा उदयपुर को दिनांक 15.06.94 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त आवंटीत भुमि को पुनः बिलानाम सरकार राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार गिर्वा को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त भुमि को राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार दर्ज कर तहवील राज ली जावें। बाद कार्यवाही पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बार कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर